न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 199/2017

अनवान

रोशनी पत्नी याकुब खां जाति तेली निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।

:–वादीया

बनाम

1. वली मोहम्मद पुत्र बरकत खां जाति फकीर/काजी निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
2. नियामती पत्नी कुरडेखां जाति तेली निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
3. रमजान पुत्र लुकमान जाति फकीर निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
4. मनभरी पत्नी फुलेखां जाति फकीर निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
5. मांगेशाह पुत्र फुलेखां जाति फकीर निवासी अनूपशहर तहसील भादरा हाल कारागृह श्रीगंगानगर।
6. मामकली पुत्र फुलेखां जाति फकीर निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
7. हाजरा पुत्री फुलेखां पत्नी रफीक जाति काजी निवासी हाल वार्ड नं0 10 जुलाहो की ढाणी भादरा तहसील भादरा ।
8. रोशनी पुत्री फुलेखां पत्नी मोती जी जाति फकीर निवासी बेरवाला पोस्ट ऑफिस नुंआ तहसील झुन्झूनू ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), भादरा।
10. आर एम जी वी अनूपशहर जरिऐ शाखा प्रबन्धक आरएमजीबी अनूपशहर

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : रिकार्ड दुरूस्ती एवं खाता तकशीम

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज0काश्त0अधि 1955

उपस्थिति : वकील श्री योगेश कुमार शर्मा : वादीया

वकील श्री नन्दूराम गोदारा: प्रतिवादी सं0 1

वकील श्री कालूराम शर्मा : प्रतिवादी सं0 2,4,7,8

वकील श्री राजेश बैंनिवाल : प्रतिवादी सं0 6

निर्णय

दिनांक : 23.09.22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा अनूपशहर के खाता सं0 442/286 के खसरा स0 634 की 2.4910है0, खसरा सं0 635 की 1.3530है0, खसरा सं0 636 की 1.1000है0, खसरा सं0 641 की 4.1350है0 कुल 9.0790है0 बारानी भूमि में दीगर प्रतिवादीगण के साथ वादिया के नाम 1/4 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड खातेदारी दर्ज है।

विवादित कृषि भूमि का पक्षकारान के मध्य बाहमी बंटवारा मौदरा एण्ड बाऊण्ड से अर्सा पहले हो चुका है। पक्षकारान अपने बाहमी बंटवारा के मुताबिक अपने

हिस्से की भूमि काश्त करते आ रहे हैं। महज कागजात माल में खाता मुश्तर्का दर्ज है चूंकि पक्षकारान का खाता काफी बडा है तथा पक्षकारान के मध्य काश्त व लगान की बाबत तनाव होता रहता है, इसलिए वादी मुताविक वाहमी बंटवारा अपने हिस्से का खाता व लगान शेष प्रतिवादीगण से अलग कायम करवा पाने का कानूनी मजाज है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को वाहमी बंटवारा अनुसार अपना खाता अलग–अलग कायम करवाने को कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये। यही विनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तामील हो चुकी है। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1, 2, 4, 6 ता 8 की तरफ से वकील उपस्थित आये। प्रतिवादी सं0 3, 5 व 10 बावजुद तामिल उपस्थित नही आयें जिस पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपति जाहिर नही की।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण मे वादीया ने रोही मौजा अनूपशहर के खाता सं0 442/286 के खसरा सं0 634 की 2.4910है0, खसरा सं0 635 की 1.3530है0, खसरा सं0 636 की 1.1000है0, खसरा सं0 641 की 4.1350है0 कुल 9.0790है0 बारानी भूमि में दीगर प्रतिवादीगण के साथ वादिया के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी कृषि दर्ज भूमि का खाता विभाजन करवाने हेतु पेश किया है। अतः वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तथा तहसीलदार राजस्व भादरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश किया गया कि रोही मौजा अनूपशहर के खाता सं0 442/286 के खसरा सं0 634 की 2.4910है0, खसरा सं0 635 की 1.3530है0, खसरा सं0 636 की 1.1000है0, खसरा सं0 641 की 4.1350है0 कुल 9.0790है0 बारानी भूमि में दीगर प्रतिवादीगण के साथ वादिया के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी कृषि भूमि का अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया जाकर मुताविक अपनी रिर्पोट व मय रगंदार नक्शा पेश करें जो कि दिनांक 09.07.2021 को तहसीलदार राजस्व भादरा से विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ। पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी तथा वकील प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज नहीं की। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान का विभाजन एवं खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:–

<u>न्यामति पत्नि कुरडे खां कौम तेली सा0 देह खातेदार</u> :– खसरा नं0 641/1 की 1.357है0 बारानी, खसरा नं0 641/3 की 0.030है0 गै0मु0 रास्ता कुल खसरा 2 की 1.357है0 बारानी व 0.030है0 गै0मु0 रास्ता कुल 1.387है0

<u>मनभरी पत्नि फूला, मांगेशाह मामकली हाजरा रोशनी पि0 फुला कौम मुसलमान फकीर सा0 देह खातेदार</u> :– खसरा नं0 641/2 की 2.270है0 बारानी कुल खसरा 1 की 2.270है0 बारानी

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

<u>रमजान पुत्र लुकमान कौम मुसलमान फकीर सा0 देह खातेदार</u> :– खसरा नं0 636/3 की 0.395है0 बारानी, खसरा नं0 641/6 की 0.107है0 बारानी कुल खसरा 2 की 0.502है0 बारानी

<u>रोशनी पत्नि याकूब खां कौम तेली सा0 देह खातेदार</u> :– खसरा नं0 635/2 की 1.062है0 बारानी, खसरा नं0 636/2 की 0.311है0 बारानी, खसरा नं0 634/2 की 0.897है0 बारानी कुल खसरा 3 की 2.270है0 बारानी

<u>बली मोहम्मद पुत्र बरकत खां कौम मुसलमान फकीर सा0 देह खातेदार</u> :– खसरा नं0 634/1 की 1.594है0 बारानी, खसरा नं0 635/1 की 0.291है0 बारानी, खसरा नं0 636/1 की 0.394है0, खसरा नं0 641/4 की 0.341है0 व खसरा नं0 641/5 की 0.030 गै0मु0 रास्ता कुल खसरा 5 की 2.620है0 बारानी व 0.030है0 गै0मु0 रास्ता कुल 2.650है0

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन यथावत रखा जावे। इसी इनुसार पर्चा डिक्री संलग्न कर जारी की जावे। तहसीलदार (राजस्व) भादरा द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा को पर्चा डिक्री का भाग समझा जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर्रे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(शकुन्तला चौधरी)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़